

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 21/2014

अनवान

1. मौहम्मद हुसैन पुत्र चान्द खॉ
  2. राजदार उर्फ राजू खॉ पुत्र चान्द खॉ
  3. कयूमनूर पुत्र चान्द खॉ
- समस्त निवासीगण रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सल्लार खॉ पुत्र सिकन्दरखॉ
  2. सेदू खॉ पुत्र सिकन्दरखॉ
  3. मुन्ना खॉ पुत्र सिकन्दर खॉ
  4. अबदल खॉ पुत्र सिकन्दर खॉ
- समस्त निवासीगण रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर ।

..... रेसपोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, रघुनाथ सिंह अभिभाषक अपीलान्ट्स  
2. श्री सत्यप्रकाश कुडिया अभिभाषक रेसपोडेन्ट्स

आदेश

दिनांक :- 17.11.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रसूलपुरा तहसील अजमेर के साबिक खसरा नं. 718 रकबा 1-18-00 का हाल खसरा नं 1015 रकबा 00-12-00, खसरा नं 1016 रकबा 00-13-00, खसरा नं 1017 रकबा 13-00-00 का सिकन्दर खॉ का 1/3 हिस्सा अपीलान्ट्स के पिताजी चान्द खॉ द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.11.1983 से खरीद कर काबिज काशत चले आ रहे हैं। खरीदशुदा आराजी वर्तमान खसरा नं 1015 रकबा 00-12-00 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 50 अपीलान्ट्स के पिता चान्द मोहम्मद खॉ के पक्ष में भरा गया जो सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का सही मिलान के अभाव में निरस्त कर दिया जिसकी पृथक से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट हाल आराजी खसरा नं 1015 रकबा 15 बिस्वा पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काशत होने के बावजूद सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अजमेर आदेश दिनांक 30.7.1990 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4 रेसपोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। इसी आदेश से रूष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेसपोडेन्ट नं. 1 से 4 जरिये

अभिभाषक उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। सर्वप्रथम रेसपो. अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताया। जवाब में अपीलार्थीगण अभिभाषक



जिला कलक्टर  
अजमेर

ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आदेश दिनांक 30.07.1990 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.03.2013 को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर दखलन्दाजी किये जाने पर हुई। प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 1.4.2013 को नकल प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण से समझाईश कर प्रकरण को निस्तारित करने का प्रयास किया जिस पर वें राजीनामा कर फैसला करने को तैयार हो गये। किन्तु दिनांक 24.06.2014 को राजीनामा के आधार पर फैसला करने से इन्कार हो गये। इस कारण प्रार्थीगण को मजबूरन अपील पेश करनी पडी। प्रार्थीगण अशिक्षित एवं काशतकार, मजदूर होने से कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं होने से अभिभाषक की सलाह लेकर अपील तैयार करवाई जाकर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश कर दी। जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। अपने कथनो के समर्थन में आर.बी.जे. (6)1999 का उद्धरण उद्धृत करवाया। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रसुलपुरा तहसील अजमेर के साविक खसरा नं. 718 रकबा 1-18-00 का हाल खसरा नं 1015 रकबा 00-12-00, खसरा नं 1016 रकबा 00-13-00, खसरा नं 1017 रकबा 13-00-00 का सिकन्दर खों का 1/3 हिस्सा अपीलान्ट्स के पिताजी चान्द खों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.11.1983 से खरीद कर काबिज काशत चले आ रहे हैं। खरीदशुदा आराजी वर्तमान खसरा नं 1015 रकबा 00-12-00 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 50 अपीलान्ट्स के पिता चान्द मोहम्मद खों के पक्ष में भरा गया जो सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का सही मिलान के अभाव में निरस्त कर दिया जिसकी पृथक से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट हाल आराजी खसरा नं 1015 रकबा 15 बिस्वा पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काशत होने के बावजूद भी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अजमेर आदेश दिनांक 30.7.1990 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4 रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 4. के पक्ष में अपीलान्ट्स को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया जो मूलतः न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम रसुलपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1015 रकबा 00-12-00 बीघा बाबत पारित नामान्तरकरण संख्या 04 दिनांक 30.7.1990 निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अपने कथनो के समर्थन में आर.बी.जे.(10)2003, पेज 12, आर.बी.जे.(4) 1997 पेज 189, आर.आर.डी.1991 पेज 321, आर.बी.जे.(6)1999-पेज 158 के उद्धरण उद्धृत करवाये।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स ने अपने जवाब कथनों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट्स के पिता चान्द खों को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था। अपीलान्ट्स के पिता द्वारा मूल रजिस्ट्री पेश की गई थी, तथा नामान्तरकरण भरा गया था, जिसे बाद सम्पूर्ण जांच मुताबिक रिपोर्ट इंस्पेक्टर एवं रजिस्ट्री सही नहीं होने के कारण खारिज किया गया। अपीलान्ट्स एवं उनके पूर्वजों को प्रत्यर्थागण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज होने की जानकारी पूर्व से ही थी। कथित आराजी पर प्रत्यर्थागण का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। विद्वान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण जांच एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए जाने के पश्चात ही



जिला कलेक्टर  
अजमेर

विधि के प्रावधानों के तहत ही आक्षेपित नामान्तरकरण पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमाते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण बहाल रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 04 बाबत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.7.90 अपीलान्ट्स के पिता को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं प्रश्नगत आराजी बाबत पूर्व में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन किये बिना पारित किया जाना जाहिर है। इसलिये उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आक्षेपीय नामान्तरकरण दिनांक 30.07.1990 यथावत रखा जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर का आक्षेपीय नामान्तरकरण सं० 04 दिनांक 30.7.90 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष (वर्तमान खातेदार, अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट्स) को समुचित रूप से साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, सभी तथ्यों का भली भांति परीक्षण कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश 30 दिवस में पारित



करें।

इजलासा सुनाया गया।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.11.2016 को सरे

(गौरव गौयल)  
जिला कलक्टर,  
अजमेर